भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 549

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल में बाढ़

549. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य विशेषकर मुर्शिदाबाद जिले को हर साल गंभीर बाढ़ और कटाव का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो मुर्शिदाबाद जिले में हर साल जनहानि, संपत्ति, पशुधन के नुकसान के लिए जिम्मेदार गंगा नदी के कारण होने वाले कटाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार कटाव को नियंत्रित करने के लिए नवीनतम इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कभी पश्चिम बंगाल विशेषकर मुर्शिदाबाद में गंगा के कटाव के कारण नष्ट हुई भूमि के क्षेत्रफल का अनुमान लगाया है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए स्वीकृत, आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क), (ख) और (ग): पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश के कई भाग विभिन्न स्तरों पर बाढ़ और कटाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। कटाव, प्रवाह और गाद का जमाव नदी में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया हैं। नदी स्वभावगत रूप से अपने प्रवाहमान गाद और जमा हुए गाद के मध्य संतुलन बनाते हुए अपने नदी क्षेत्र को बनाए रखती है। भारी बाढ़ के कारण मृदा का कटाव चिंता का विषय है क्योंकि इससे नदी के मार्ग में परिवर्तन, भूमि की क्षति आदि जैसी कई संबंधित समस्याएं जुड़ी हैं।

कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्यों के कार्यक्षेत्र में है। बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी का विकास, समुद्र कटाव रोधी आदि उपायों से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XII योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया गया था, जो वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ इसे वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है । पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के लाभार्थ दो (2) पूर्ण और एक (1) निर्माणाधीन एफएमपी परियोजनाएं हैं, जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का बैराज परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत एक अधीनस्थ संगठन है जो अपने अधिकार क्षेत्र में फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार बैराज और इसकी सहायक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए इसके गंभीर क्षेत्रों में नदी तट संरक्षण का कार्य करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन के लिए फरक्का बैराज परियोजना द्वारा 4420 करोड़ रु का व्यय किया गया है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया और मालदा जिले में गंगा-पद्मा नदी द्वारा किए जा रहे कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना हेतु संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय जल आयोग का मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर एक बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र है। लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और अन्य उपचारात्मक उपायों हेतु योजना तैयार करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अधिक समय उपलब्ध कराने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा अपने पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों की अग्रिम परामर्शी जारी करने के लिए वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिनवार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है।

सरकार नवीनतम इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों यथा जिओ बैग, जिओ ट्यूब और जैव इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए कटाव को नियंत्रित करने पर विचार कर रही है।

(घ): केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आईआईटी रूड़की के माध्यम से वर्ष 1970-2010 की अवधि के दौरान सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग करते हुए गंगा नदी का आकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन किया गया जिससे मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज के अपस्ट्रीम क्षेत्र में

428932 हेक्टेयर के कटाव और 50 किमी के क्षेत्र में 724 हेक्टेयर के अवसादन का निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

(ङ): जल शक्ति मंत्रालय के जारी बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के एफएमपी घटक के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य से 18 परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लिए शामिल किया गया था। पूरी हो चुकी 16 परियोजनाओं से लगभग 1.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 2.49 मिलियन जनसंख्या को संरक्षण प्राप्त हुआ है। एफएमपी के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को 1051.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, एफएमबीएपी स्कीम के एफएमपी घटक के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को 16135 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

अनुलग्नक - I

"पश्चिम बंगाल में बाढ़" के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 549 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

एफएमपी परियोजना मुर्शिदाबाद जिले की स्थिति राशि (करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	नदी /सहायक नदी	अनुमानित लागत	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	परियोजना की स्थिति
1.	सुंदरपुर और बसंतपुर, मुर्शिदाबाद जिले में काजीपारा से नबग्राम और सहरबाती से उत्तरासन आउट फाल और नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में संयालचर में भागीरथी नदी के दोनों तटों पर तट सुरक्षा कार्य (डब्ल्यूबी-14)	भागीरथी	23.66	14.20	पूरी कर ली गई है।
2.	मुर्शिदाबाद जिले में इचलीपारा, मोया, गलदरिया, पश्चिम बीचपारा (बमनापद) और नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में बौसमारी में गंगा-पद्मा नदी के दक्षिणी तट पर तट सुरक्षा कार्य- (डब्ल्यूबी-15)	गंगा-पद्मा	28.13	19.095	पूरी कर ली गई है।
3.	मुर्शिदाबाद जिले के कंडी और अन्य आस-पास के क्षेत्रों में तटबंध और सहायक कार्यों का सुधार-(डब्ल्यूबी-18)	कंडी	438.94	126.07	जारी
